न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 373/17 तारीख रजू– 06/11/17

1. चन्दी पत्नि अमीरशाह उम्र 75 साल जाति मुसलमान निवासी आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. रईसन पुत्री अमीरशाह पत्नि बाबूशाह उम्र 58 साल निवासी आलनपुर हाल निवासी खिरनी तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर।
3. हमदीन पुत्री अमीरशाह पत्नि अमीरशाह उम्र 56 साल निवासी आलनपुर हाल निवासी मलारना चौड़ तहसील मलारना डूगंर।
4. शरीफन पुत्री अमीरशाह पत्नि बाबूशाह उम्र 53 साल निवासी आलनपुर हाल निवासी मामडोली तहसील बौली।
5. कल्ली पुत्री अमीरशाह पत्नि कल्लूशाह उम्र 47 साल निवासी आलनपुर हाल निवासी बौली तहसील बौली।

–अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर।
2. मुरादशाह पुत्र अमीर शाह जाति मुसलमान निवासी आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर।
3. सत्तार शाह पुत्र अमीरशाह जाति मुसलमान निवासी आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर।
4. गफ़्फारशाह पुत्र अमीरशाह जाति मुसलमान निवासीआलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर।
5. फरियाादशाह पुत्र अमीरशाह जाति मुसलमान निवासी आलनपुरतहसीलसवाई माधोपुर।
6. मुन्नी पुत्री अमीर शाह जाति मुसलमान निवासी आलनपुर तहसील सवाई माधोपुर।

–रेस्पोडेन्टान

निर्णय दिनांक–. 31.1.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम आलनपुर के नामान्तकरण संख्या 746 में पारित निर्णय दिनांक 10/06/83 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा ग्राम आलनपुर में स्थित अपीलान्ट सं0 1 के पति तथा अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 5 एवं रेस्पों 2 लगायत 7 के पिता अमीरशाह के फौत होने पर ग्राम आलनपुर में स्थित अमीरशाह की खातेदारी भूमि का विरासत नामान्तकरण तस्दीक हुआ था, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 746 निर्णय दिनांक 10/06/1983 वाके ग्राम आलनपुर निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते तलबी मूल रिकोर्ड न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा मूल रिकोर्ड प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपनी अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट सं0 1 के पति तथा अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 5 एवं रेस्पों 2 लगायत 7 के पिता अमीरशाह की ग्राम आलनपुर में खातेदारी भूमि थी तथा अमीरशाह के फौत हो जाने पर उक्त जमीन का विरासत नामान्तकरण केवल रेस्पोंडेन्टस् के नाम तस्दीक हो गया जो नियम विरूद्ध है। अपीलान्ट सं0 1 अमीरशाह की पत्नि है तथा अपीलान्ट सं0 2 लगायत 5 अमीरशाह की पुत्री है। पिता की खातेदारी भूमि में पत्नि व पुत्रीयों का भी हक निहित होता है,

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कल्ली रईसन चन्दी शरीफन

15/8

साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 746 निर्णय दिनांक 10/06/83 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील 30 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की है। जो मियाद बाहर प्रस्तुत की है, साथ ही अपील निरस्त कर नामान्तकरण संख्या 746 निर्णय दिनांक 10/06/83 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से सर्वप्रथम पाया गया कि अपीलान्ट सं0 1 अमीरशाह की पत्नि है तथा अपीलान्ट सं0 2 लगायत 5 अमीरशाह की पुत्री है तथा रेस्पों संख्या 2 लगायत 5 अमीरशाह के पुत्र है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार पिता की सम्पत्ति पर पुत्र व पुत्रीयों का सामान अधिकार है। अतःअमीरशाह के फौत हो जाने पर उसकी खातेदारी भूमि अमीरशाह की पत्नि व पुत्रीयों को भी हक मिलना चाहिए था। अतः उक्त नामान्तकरण प्रारम्भ से ही शून्य प्रतीत होता है तथा प्रारम्भ से ही शून्य आदेश पर कोई मियाद प्रभावी नहीं होती है तथा अपील अपीलान्ट मयाद शुभार मानी जाती है एवं इस प्रकार के आदेश को सक्षम न्यायालय में किसी भी समय चुनौती दी जाकर निरस्त कराया जा सकता है तथा प्रारम्भ से कानूनी प्रावधानों के विपरीत शून्य आदेश के आधार पर स्वीकृत किये गये नामान्तकरण को विधि सम्मत नामान्तकरण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10/06/83 नामान्तकरण संख्या 746 वाके ग्राम आलनपुर निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 746 आदेश दिनांक 10/06/83 वाके ग्राम आलनपुर निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार सवाई माधोपुर को प्रकरण की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अमीरशाह के विधिक वारिसानों की जांचकर नियमानुसार पुनः नामान्तकरण तस्दीक करे।

निर्णय आज दिनांक 31.1.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर